

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-92/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० हफसा तबस्सुम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, जम्होर, औरंगाबाद द्वारा दिनांक-05.05.2025 से 31.10.2025 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

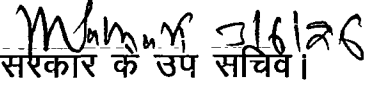
ज्ञापांक-2/एल०-92/2026- 1224(2)

पटना, दिनांक 08/06/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, औरंगाबाद /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, औरंगाबाद /कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/डा० हफसा तबस्सुम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सदर प्रखण्ड, जम्होर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग. बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
R